प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
विशाल काम्प्लेक्स, 19–ए विधान सभा मार्ग,
लखनऊ, उ0प्र0।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
जनपद–इलाहाबाद, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, अमेठी, बहराइच, बलरामपुर, बाराबंकी, गोण्डा, श्रावस्ती, सुल्तानपुर, सिद्धार्थनगर, औरैया, इटावा, फर्रूखाबाद, कन्नौज, हरदोई, खीरी, सीतापुर, आजमगढ़, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, आगरा, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, मैनपुरी, मथुरा, बदायूं, बरेली, कासगंज, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, अमरोहा, मुरादाबाद एवं संभल।

6265-44

पत्रांक–एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./आर.आई./ मिशन इन्द्रधनुष/ 14–15/31 दिनांक 28 मार्च, 2015

विषय–मिशन इन्द्रधनुष कार्यक्रम से सम्बन्धित वित्तीय दिशा–निर्देश।

महोदय,

भारत सरकार ने 25 दिसम्बर 2014 से मिशन इंद्रधनुष का शुभारम्भ किया है। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2020 तक सभी टीकाकरण से वंचित, आंशिक रूप से टीका लगाये गए बच्चों एवं गर्भवती महिलाओ का पूर्ण टीकाकरण किया जाना हैं। मिशन इंद्रधनुष के तहत सरकार ने देश भर में टीकाकरण में कम उपलब्धि वाले 201 जनपदों की पहचान किया है। जिनमें से 44 जनपद उत्तर प्रदेश से हैं। इन जनपदों में सघन टीकाकरण अभियान चलाकर बच्चों एवं महिलाओ में रूग्णता एवं मृत्युदर में कमी लायी जा सकेगी। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत अग्रिम कार्ययोजना तैयार किये जाने हेतु आवश्यक प्रारूप महानिदेशक, परिवार कल्याण द्वारा जनपदों को प्रेषित किये जा चुके हैं।

भारत सरकार के पत्र संख्या T-13020/60/2015-CC&V दिनांक 10 मार्च, 2015 के माध्यम से आगामी माह अप्रैल, 2015 से चार चरणों में आयोजन किये जाने हेतु वित्तीय दिशा–निर्देश प्रेषित किये गये हैं।

(मिशन इन्द्रधनुष कार्यक्रम हेतु वित्तीय दिशा–निर्देश)

मिशन इन्द्रधनुष के अन्तर्गत महत्वपूर्ण गतिविधियों के संचालन हेतु धनराशि का व्यय नियमित टीकाकरण पार्ट 'सी' मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा। टीकाकरण के पार्ट 'सी' मद में स्वीकृत कुछ गतिविधियों में मिशन इन्द्रधनुष के संचालन हेतु **flexibility** (लचीलापन) दी गयी है, जो कि निम्नानुसार है–

C.1.a जिला स्तरीय अधिकारियों के पर्यवेक्षण हेतु मोबिलिटीः जनपद स्तरीय अधिकारियों के लिए नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के पर्यवेक्षण हेतु भारत सरकार की वर्ष 2014–15 की आर0ओ0पी0 में रू0 250,000/– प्रति वर्ष प्रति जनपद की दर से अनुमति प्रदान की गयी है। इसमें वाहन हेतु पी0ओ0एल0 की व्यवस्था है। यदि राजकीय वाहन उपलब्ध नहीं है तो वाहन को दिवस के हिसाब से नियमानुसार किराये पर लिया जा सकता है एवं ब्लाक स्तर पर मिशन इन्द्रधनुष के संचालन हेतु आवश्यकतानुसार धनराशि ब्लाकों को अवमुक्त की जा सकती है।

C.1.c : Printing and dissemination of Immunization Cards, tally sheets, Monitoring forms etc. मद में वर्ष 2014–15 के लिये भारत सरकार की आर.ओ.पी में रू0 **10/–** प्रति लाभार्थी (गर्भवती महिला) की दर से धनराशि स्वीकृत की गई है। जिसके अन्तर्गत आशा पेमेन्ट वाउचर, हेड काउन्ट एवं ड्यू लिस्टिंग हेतु आशा ट्रेकिंग बुकलेट, मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग प्रपत्र, टेलीशीट, कोल्ड चेन प्वाइंट्स पर वैक्सीन वितरण, स्टॉक रजिस्टर, टिकलर बैग इत्यादि की प्रिन्टिंग करायी जाय। समस्त सामग्री एवं प्रपत्रों की प्रिन्टिंग टेण्डर/कोटेशन के माध्यम से की जाय। मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड की प्रिन्टिंग अन्य मद से होने के कारण इस मद (C.1.c) से न कराई जाए।

C.1.e जनपद स्तर पर नियमित टीकाकरण की समीक्षा बैठक– जनपद स्तर पर नियमित टीकाकरण की 4 समीक्षा बैठकों के आयोजन हेतु भारत सरकार की वर्ष 2014–15 की आर0ओ0पी0 में रू0 100/– प्रतिभागी की दर से वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। इन समीक्षा बैठकों में 5 अधिकारी/कर्मचारी प्रति ब्लाक प्रतिभाग करेगें जिसमें प्रभारी चिकित्साधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, ब्लाक आई0सी0सी0/आई0ओ0 तथा ब्लाक स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी भाग लेंगे। मिशन इन्द्रधुनष की समीक्षा एवं तैयारियों हेतु धनराशि व्यय किया जा सकता है।

C.1.f ब्लाक स्तर पर नियमित टीकाकरण की समीक्षा बैठक– ब्लाक स्तर पर ब्लाक के प्रभारी चिकित्साधिकारी की अध्यक्षता में आशाओं की त्रैमासिक समीक्षा बैठकों में 75/– प्रतिभागी (आशा) को प्रतिभागियों की दर से धनराशि आवंटित की गयी है। इन समीक्षा बैठकों में ए0एन0एम0 को भी बुलाया जायेगा, साथ ही बाल विकास परियोजना अधिकारी, ब्लाक आई0सी0सी0/आई0ओ0, ब्लाक स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी एवं आई0सी0डी0एस0 पर्यवेक्षकों आदि को बुलाकर मिशन इन्द्रधनुष कार्यक्रम के अन्तर्गत अभिमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया जा सकता है।

C.1.h सत्र स्थल पर लाभार्थियों को लाकर टीकाकरण कराने के लिए आशा/आंगनबाड़ी कार्यकत्री/लिंक वर्कर हेतु मानेदय–

जनपदों में ग्रामीण एवं शहरी मलिन बस्तियों के क्षेत्रों में लाभार्थियों (गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों) को टीकाकरण सत्र स्थल पर लाकर टीकाकरण कराने हेतु आशा/आंगनबाड़ी कार्यकत्री/लिंक वर्कर को 150/– प्रति सत्र की दर से भुगतान किया जाने की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई है। मिशन इन्द्रधनुष में प्रत्येक सत्र पर दो मोबिलाइजर्स–आशा/आंगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा मोबिलाइजेशन का कार्य किया जायेगा एवं रू0 75/– की धनराशि प्रत्येक को मिशन इन्द्रधनुष कार्यक्रम के अन्तर्गत भुगतान की जायेगी। किसी क्षेत्र में आशा या आंगनबाड़ी कार्यकत्री का स्थान पद रिक्त होने की स्थिति में लिंक वर्कर की सेवाएं भी ली जा सकती हैं। उपरोक्त का भुगतान C.1.h मद से किया जायेगा।

C.1.i दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में वैक्सीन पहुंचाने की वैकल्पिक व्यवस्थाः मिशन इन्द्रधनुष कार्यक्रम के अन्तर्गत Hard to reach टीकाकरण सत्र स्थलों पर वैक्सीन, टीम एवं सुपरवाइजर को पहुंचाने हेतु भारत सरकार द्वारा रू0 150/– प्रति टीकाकारण सत्र की दर से स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त राशि का उपयोग टीकाकरण स्थल तक वैक्सीन पहुंचाने हेतु वाहन द्वारा भी किया जा सकता है। (उदाहरणार्थ–10 सत्रों को क्लब कर अर्थात् 1500 रू0) मिशन इन्द्रधनुष कार्यक्रम में इस धनराशि का उपयोग आवश्कतानुसार मोबाइल टीम हेतु किया जा सकता है।

C.1.j सत्र स्थल पर वैक्सीन पहुंचाने की वैकल्पिक व्यवस्था : जनपदों में ग्रामीण एवं शहरी मलिन बस्तियों में नियमित टीकाकरण सत्रों में सत्र स्थल पर वैक्सीन पहुंचाने हेतु 75/– प्रति सत्र की दर से धनराशि की स्वीकृति मिशन इन्द्रधनुष कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदान की गयी है। (उदाहरणार्थ–10 सत्रों को क्लब कर अर्थात् 750 रू0) मिशन इन्द्रधनुष कार्यक्रम में इस धनराशि का उपयोग आवश्कतानुसार मोबाइल टीम हेतु किया जा सकता है।

C.1.k उपकेन्द्र कार्ययोजना तैयार करने हेतु : नियमित टीकाकरण की कार्ययोजना हेतु उपकेन्द्र के लिए 100/– प्रति उपकेन्द्र, की दर से धनराशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। इस धनराशि का उपयोग उपकेन्द्र की कार्ययोजना बनाने एवं उसका अद्युनान्तीकरण करने हेतु किया जायेगा।

C.1.l ब्लाक की कार्ययोजना तैयार करने हेतु : माइक्रोप्लान बनाने एवं उसका अद्युनान्तीकरण करने हेतु ब्लाक स्तर पर प्रति ब्लाक/पी0एच0सी0 हेतु रू0 1000/– की दर से एवं प्रति जनपद रू0 2000/– धनराशि इसका उपयोग कार्ययोजना बैठक, फार्मेट प्रिन्टिंग तथा माइक्रोप्लान के कम्प्यूटरीकरण हेतु किया जायेगा।

C.1.m वैक्सीन पहुंचाने हेतु पी0ओ0एल0 की व्यवस्था : राज्य मुख्यालय/रीजनल वैक्सीन डिपो, मण्डल मुख्यालयों से जनपद तथा ब्लाक स्तर पर वैक्सीन वैन से वैक्सीन ले जाने हेतु प्रत्येक जनपद को रू0 1,50,000/– प्रति जनपद प्रति वर्ष की दर से धनराशि की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की गयी है। इस धनराशि का उपयोग वैक्सीन ले जाने में पी0ओ0एल0 की व्यवस्था में किया जाना है।

C.1.o Red/Black Plastic Bags etc : लाल एवं काले प्लास्टिक बैग का उपयोग टीकाकरण सत्र पर टीकाकरण वेस्ट को स्वास्थ्य इकाई पर लाने हेतु किया जायेगा। इस मद में लाल/काले रंग की पालिथिन प्लास्टिक बैग के जनपद स्तर पर क्रय हेतु रू0 3/–प्रति प्लास्टिक बैग प्रति टीकाकरण सत्र की दर से धनराशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रदान की गई है। धनराशि का उपयोग नियमानुसार क्रय प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जाना है।

C.4.कोल्ड चेन रख–रखावः इस मद में प्रत्येक जनपद को ₹15000/– प्रति वर्ष तथा ₹750/– प्रति पी0एच0सी0/सी0एच0सी0 कुल 1134 इकाई हेतु प्रति वर्ष की दर से भारत सरकार द्वारा धनराशि स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त धनराशि डी0आई0ओ0 द्वारा आर0एम0 की टेक्निकल राय उपरान्त ही रिक्वायरमेंट पर व्यय किया जाय।

C.5 ASHA Incentive for full immunization: इस मद में 0–1 वर्ष के पूर्ण प्रतिरक्षण कराने हेतु आशा को ₹ 100/– प्रति पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चे की दर तथा ₹ 50 प्रति बच्चे को सम्पूर्ण टीका दो वर्ष की आयु तक लगवाने पर अतिरिक्त देय होगा। इस मद में कुल ₹150 प्रति लाभार्थी की दर से धनराशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है।

B.1.1.3.6.1 एफ0एम0आर0 के अन्तर्गत व्यय हेतु दिशा–निर्देश

- **परिवारों की सूची तैयार करना (लाइन लिस्टिंग):** इस मद के अन्तर्गत वर्ष के आरम्भ में परिवारों की सूची लाइन लिस्टिंग करने पर एवं छः माह के पश्चात् अद्यतन करने पर उक्त मद के अन्तर्गत ग्राम स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर के भाग संख्या 2 को प्रत्येक माह अद्यतन करना होगा। इस कार्य हेतु आशा को प्रोत्साहन धनराशि के रूप में ₹ 100 का प्राविधान है। शहरी क्षेत्रों में आशा उपलब्ध न होने पर भारत सरकार के वित्तीय दिश–निर्देशों के अनुसार इस कार्य हेतु आंगनबाड़ी/लिंक वर्कर की भी सेवाएं ली जा सकती हैं एवं आशा को दिए जाने वाले मानदेय ₹ 100 ही देय होगा।
- **टीकाकरण हेतु बच्चों की ड्यूलिस्ट बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर:** आशाओं द्वारा सही एवं पूर्ण प्रकार से ड्यूलिस्ट बनाने पर ड्राप आउट एवं लेफ्ट आउट बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का चिन्हिकरण किया जाना है। इस कार्य हेतु आशा को प्रोत्साहन धनराशि के रूप में ₹ 100 का प्राविधान है। मिशन इन्द्रधनुष के अन्तर्गत चिन्हित क्षेत्रों में आशा उपलब्ध न होने पर भारत सरकार के वित्तीय दिश–निर्देशों के अनुसार इस कार्य हेतु आंगनबाड़ी/लिंक वर्कर की भी सेवाएं ली जा सकती हैं एवं आशा को दिए जाने वाले मानदेय ₹ 100 ही देय होगा।

- उक्त एफ0एम0आर0 के अन्तर्गत व्यय किये जाने हेतु महानिदेशक, परिवार कल्याण के पत्र संख्या– प0क0/08/प्रशि0/आशा यो0/दिशा निर्देश/2014–15/ 4524–75 दिनांक 12.12.2014 के माध्यम से पूर्व में ही दिशा–निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं।

वाहन व्यवस्था– मिशन इन्द्रधनुष कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद एवं ब्लाक स्तर पर सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु उपलब्ध कराये गये वाहनों का उपयोग विशेष परिस्थितियों में किया जा सकता है। इस हेतु कार्यालय के पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/एम0एण्ड ई0/2014–15/04/4219–75 दिनांक 22.12.2014 का सन्दर्भ ग्रहण किया जा सकता है।

संलग्नक: भारत सरकार का पत्र।

भवदीय,

27/3/15

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक–एन0एच0एम0

पत्रांक–एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./आर.आई./मिशन इन्द्रधनुष/14–15/31 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. उपायुक्त (प्रतिरक्षण), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, एस0पी0एम0यू0, उत्तर प्रदेश।
4. अधिशासी निदेशक, टी0एस0यू0, लखनऊ।
5. महानिदेशक, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
6. अपर निदेशक, यू0आई0पी0/संयुक्त निदेशक (आर0आई0), परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
7. महाप्रबन्धक, कम्युनिटी प्रोसेस, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, एस0पी0एम0यू0, उत्तर प्रदेश।
8. राज्य कोल्ड चेन अधिकारी, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
9. वरिष्ठ परियोजना अधिकारी, यू0एन0डी0पी0, लखनऊ।
10. आर0टी0एल0, एन0पी0एस0पी0–डब्ल्यू0एच0ओ0, लखनऊ।
11. कार्यक्रम अधिकारी, यूनिसेफ, कोर, रोटरी, पी0एच0एफ0आई0–आई0टी0एस0यू0, यू0एन0डी0पी0, लखनऊ।
12. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मण्डल–इलाहाबाद, बांदा, फैजाबाद, गोण्डा, बस्ती, कानपुर, लखनऊ, आजमगढ़, मिर्जापुर, आगरा, अलीगढ़, बरेली, मेरठ, सहारनपुर एवं मुरादाबाद।
13. मण्डलीय अपर निदेशक, चि0स्वा0एवं प0क0, मण्डल–इलाहाबाद, बांदा, फैजाबाद, गोण्डा, बस्ती, कानपुर, लखनऊ, आजमगढ़, मिर्जापुर, आगरा, अलीगढ़, बरेली, मेरठ, सहारनपुर एवं मुरादाबाद।
14. जिला प्रतिरक्षण अधिकारी/जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जनपद–इलाहाबाद, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, अमेठी, बहराइच, बलरामपुर, बाराबंकी, गोण्डा, श्रावस्ती, सुल्तानपुर, सिद्धार्थनगर, औरैया, इटावा, फर्रूखाबाद, कन्नौज, हरदोई, खीरी, सीतापुर, आजमगढ़, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, आगरा, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, मैनपुरी, मथुरा, बदायूँ, बरेली, कासगंज, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, अमरोहा, मुरादाबाद, एवं संभल।

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक–एन0एच0एम0

T-13020/06/2015-CC&V
Government of India
Ministry of Health & Family Welfare
Immunization Division
*****

Nirman Bhawan, New Delhi
Date:16th March'2015

To,

Mission Directors (28 states)

Sir/Madam,

Subject: Financial support for Mission Indradhanush

You are aware that the Ministry of Health & Family Welfare, the Government of India, launched Mission Indradhanush on 25 December 2014 as a special drive to vaccinate all unvaccinated or partially vaccinated children and pregnant women under the Universal Immunization Programme, thereby protecting them against several vaccine preventable diseases. Mission Indradhanush is a nation-wide intensified immunization drive with a special focus on 201 high focus districts identified on the basis of risk scoring.

I have been directed to inform you that funds available for operational activities of routine immunization under part C of (PIP) NHM will be utilized to carry out operational activities for Mission Indradhanush. However, flexibility has been provided for some of the activities approved under part C of (PIP) immunization to ensure greater participation of health workers for Mission Indradhanush. (details in annexure). The changes provided in the financial norms will apply to the activities conducted under Mission Indradhanush. If funds under a particular head are inadequate, the state may re-appropriate funds from other heads with the consent of appropriate authority.

Development partners will support the implementation of mission and play an important role in capacity building for planning and implementation. WHO will provide financial support for medical officers' workshops (both at state and district level) in eight states *(Bihar, Chhattisgarh, Haryana, Jharkhand, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and West Bengal)* and 201 high focus districts. Additionally, UNICEF will provide financial support for media workshops at state level in 14 states *(Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, Andhra Pradesh, Telangana, West Bengal, Tamil Nadu, Odisha, Maharashtra, Jharkhand, Gujarat, Chhattisgarh and Assam)* and regional workshop for other NE states.

For all the other activities, states may use the funds available under NHM.

I am looking forward to your support and personal oversight to make Mission Indradhanush a success.

Yours sincerely,

Dr. Pradeep Haldar
DC (I)

Copy to:-

1. WHO India (NPSP)
2. Chief of Health, UNICEF, India
3. State Immunization Officers of 28 States/UTs

Annexure

Financial support for Mission Indradhanush

REFLECTING CHANGE IN MODE OF PAYMENT FROM THE EXISTING NORMS*		
Activity	**Existing Norms**	**For Mission Indradhanush**
VACCINATORS AND MOBILIZERS		
Line listing of households done twice a year at six months interval	Rs 100 for ASHA	For Mission Indradhanush this amount may be paid to ASHA, if no ASHA is identified or unavailable same may be paid to the link worker/Aanganwadi Worker subject to total ceiling of Rs. 100/-.
Preparation of due list of children to be immunized updated on monthly basis	Rs 100 for ASHA	For Mission Indradhanush this amount may be paid to ASHA, if no ASHA is identified or unavailable same may be paid to the Anganwadi Worker/link worker subject to total ceiling of Rs. 100/-.
Mobilization of beneficiaries to session sites	Rs 150 for ASHA	Two mobilizers will be present at each session site (ASHA/ Anganwadi Worker /Link worker). Each mobilizer may be paid Rs. 75 with a maximum limit of Rs. 150/- per session site.

*The changes are applicable for the activities under Mission Indradhanush and will not apply to the Routine Immunization activities.

- **For Medical Officer workshops at state level**, WHO will provide financial support in eight high focus states: Bihar, Chhattisgarh, Haryana, Jharkhand, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and West Bengal

- **For media workshops at state level**, UNICEF will provide support to thirteen states: Telangana, West Bengal, Uttar Pradesh, Tamil Nadu, Rajasthan, Odisha, Maharashtra, Madhya Pradesh, Karnataka, Jharkhand, Gujarat, Chhattisgarh, Bihar Andhra Pradesh and Assam.